विशेष न्यायालय (एस०सी० /एस०टी० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,

कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव

UPUN010042272026

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या:– 1790/2026

1. **सुनील पुत्र मेवालाल,**
2. **चन्द्रशेखर पुत्र राकेश लोधी,**

निवासीगण:– फाजिलपुर, थाना:– सफीपुर, जिला:– उन्नाव

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

1. **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उन्नाव,**
2. **अजय शंकर पुत्र दयाशंकर कोरी, निवासी:– फाजिलपुर, थाना:– सफीपुर, जिला:– उन्नाव**

.....विपक्षीगण

मु०अ०सं०:– 115/2026,
धारा:– 126(2), 115(2), 352, 324(2) बी०एन०एस०
एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना:– सफीपुर, जिला:– उन्नाव

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

दिनांक:– 20.07.2026

अभियुक्तगण **सुनील एवं चन्द्रशेखर** की ओर से **मु०अ०सं०:– 115/2026, धारा:– 126(2), 115(2), 352, 324(2) बी०एन०एस० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– सफीपुर, जिला:– उन्नाव** में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा दाखिल प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया कि प्रार्थीगणो का प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दिया गया है और न ही खारिज हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.03.2026 समय लगभग दोपहर के 12.00 बजे की है प्रार्थी अपने निजी कार्य से जा रहा था तभी जैसे ही चन्द्रशेखर S/O राकेश नि० उपरोक्त के घर के बाहर पहुचा तो नशे की हालत में सुनील S/O मेवा लोधी व चन्द्रशेखर S/O राकेश लोधी व गोकुल व अर्जुन पुत्रगण राम खेलावन लोधी नि० उपरोक्त लोगो नें प्रार्थी को रोक लिया और जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करके गन्दी गन्दी गालिया देने लगे प्रार्थी के विरोध करने पर उपरोक्त लोग लाठी व डण्डो से मारनें पीटने लगे प्रार्थी के शोर से प्रार्थी का भाई करुणाशंकर S/O दयाशंकर व पिता दयाशंकर S/O मिश्रीलाल बचाने आए तो उपरोक्त लोग उन्हे भी लाठी व डण्डो से मारनें पीटने लगे और जाति सूचक गन्दी गन्दी गालिया देते हुए कहने लगे तुम नीची जाति के हो मेरा कुछ नही कर सकते हो और प्रार्थी की गाड़ी हीरो स्पेलण्डर UP–35V2199 को भी तोड़ फोड़ दिया है श्रीमान जी को सूचना देने आया हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि

प्रार्थिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही इस मुकदमें के अलावा कोई भी मुकदमा प्रार्थीगण के खिलाफ वांछित नहीं है। प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी सं०–2 की बहन प्रेमवती पुत्री राकेश ने घटना के संबंध में मु०अ०सं०–114/2026 अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 118(1) बी०एन०एस० थाना सफीपुर, उन्नाव में दर्ज कराया था जिसमें प्रार्थी सं०–2 का होंठ काट लिया था। जिसमें वादी मुकदमा जेल चले गए थे। इसी वजह से रंजिशन पुलिस से मिलकर सरकारी लाभ प्राप्त करने की वजह से झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दिया गया है और न ही खारिज हुआ है। प्रार्थीगण जमानत पर छूटने के बाद न तो कहीं भागेंगे और न ही कहीं भागेंगे और न ही सबूत गवाहान पर बेजा असर डालेंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को ता–फैसला जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक व वादी मुकदमा के अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी मुकदमा पर नोटिस का तामीला पर्याप्त है। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध आपत्ति करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र को खारिज किए जाने की याचना की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मुकदमा में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण दिनांक 08.07.2026 से अंतरिम जमानत पर हैं तथा दौरान अंतरिम जमानत इनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने का कोई तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है। आरोप–पत्र में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं है।

अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्तागण को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण **सुनील एवं चन्द्रशेखर** की ओर से **मु०अ०सं०:– 115/2026, धारा:– 126(2), 115(2), 352, 324(2) बी०एन०एस० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– सफीपुर, जिला:– उन्नाव** में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र **स्वीकार** किया जाता है तथा अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा रू० 20,000/–(बीस हजार रूपए) का स्वबंध पत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक:– 20.07.2026

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव